

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सियल ऐरिया, सी-स्कीम, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर-16)

क्रमांक : मॉ.प्रकोष्ठ / डीएलबी / डेयरी बूथ / 2017 / 14586-14777 जयपुर, दिनांक: 12-6-2017

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद / पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय :- नगरीय निकाय क्षेत्रों में नवीन डेयरी बूथ खोले जाने में महिला आवेदकों को ही एन.ओ.सी. दिये जाने बाबत।

प्रसंग :- प्रबन्ध संचालक, राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फ़ैडरेशन लिमिटेड के पत्र दिनांक 01.05.2017 की निरन्तरता में।

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक दिनांक 29.05.2017 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार नगरीय निकायों द्वारा भविष्य में दूध डेयरी बूथ आवंटन के लिये केवल महिला आवेदनकर्ता को ही शहरों / कस्बों में दूध डेयरी बूथ की एन.ओ.सी. जारी की जावें।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : मॉ.प्रकोष्ठ / डीएलबी / डेयरी बूथ / 2017 / 14778-14787 जयपुर, दिनांक: 12-6-2017
प्रतिलिपी :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. महाप्रबन्धक (मार्केटिंग), राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फ़ैडरेशन लिमिटेड, जयपुर
3. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र की पालना सुनिश्चित करवाकर प्रगति रिपोर्ट 7 दिवस में भिजवावें।

अतिरिक्त निदेशक